जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर।

्रप्रबंधक आर0एन0इन्टरनेशनल स्कूल,धामपुर,ब्लाक—अल्हैपुर जनपद-बिजनौर।

शंकःबेसिक / मान्यता / **/3००५-०० -** / 2015—16 गान्यता / 13004-00 - /2015-16 दिनांक 11/03/16 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन क (य:-लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मा यता प्रमाण-पत्र।

विय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती चार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं आर0एन0इन्टरनेशनल स्कूल,धामपुर,ब्लाक-अल्हैपुर(बिजनौर) को दिनांक -04-2016 से दि0 31-03-2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा-8 तक लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस -पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन सगूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियाँ ध्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा। सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी (1) कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दंड या गानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा। (2)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तींण करने की अपेक्षा (3)

नहीं की जाएगी:

(5)

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए (4)अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जःएगा;

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशकाता ग्रस्त / विशेष आवश्यकृताओं वाले विद्यार्थियों को

प्रवेश दिया जायेगाः

अध्यापको की मर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के (6)साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंग पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं,पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें, (7)

अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है,और

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नहीं करेगें। विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा। विद्यालय अधिनियम की धारा 10 में राशाविनिर्दिष्ट विद्यालय के गणा के

शिक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाः निम्नानुसार है विशालय परिसर का मोत्रफल 9200 🖽 मीटर कुल विर्णित क्षेत्र ANG 36 वर्ग मीटर कींडा स्थल का होत्रफल 7000 वर्ग होहर कबाओं की संख्या 12 प्राच्यापक सह कार्मीलय सह भंडामार के लिए कक्ष ०४ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक भौचालय~उपलब्ध हैं। पेयजल सुविधा-सपलब्ध है। मिंड के भील पकाने के लिए रसोई गुंजना लागू नहीं है। अध्यापन पटन सामग्री/कीडा खेलकृद उपरक्तर्ग/पुरतकालय की उपलब्धता उपलब्ध है। ीद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यदा प्राप्त कक्षाए वहें: **ुविद्यालय भवनो या अन्य रांरचनाओं या कीडा**−रण नै का प्रयोग केवल शिक्षा और कीशल विकास के ু विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1:60(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सासाइटी केंद्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक ग्यास द्वारा बलाया जा रहा है। स्कूल को किसी व्यस्टि,व्यस्टियों के समूह या संगम था किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं वलाया 3 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट दारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने वाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस राज्यांक का उल्लेख करें।

4 आपके विद्यालय को आवंदित मान्यता कोंड संख्या26 है |कृपया इसे गोट कर लें और इस

15 विद्यालय ऐसी रिपॉट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुद्रित सरकार/ खानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को रानिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियाँ को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(जयकरने यादव) (जयकरन यादव) 11/03 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर्।

, पृ०सं०बेसिक /

(n)

तद्दिनांक। /2015-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1—अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०,शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

2-सचिव,उ०प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल,मुरादाबाद।

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद-बिजनौर।

5—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनीर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनीर।